न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 159/2015

1. घासी पुत्र स्व. छीतर
2. रामप्रसाद पुत्र स्व. श्री छीतरमल
3. सुप्यार देवी पत्नी स्व. छीतरमल
4. केली पुत्री स्व. छीतर
5. राजा पुत्री स्व. छीतर
6. भूली पुत्री स्व. छीतर
7. सुगना पुत्री स्व. श्री छीतर मल

समस्त जाति कुम्हारी, निवासियान ग्राम करेडा खुर्द, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

–अपीलार्थीगण/प्रार्थी–

बनाम

1. हजारी लाल चौधरी
2. राजेश कुमार चौधरी

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम–करेडा खुर्द, तहसील चाकसू, जिला जयपुर राज0।

–रेस्पोडेंट/वादी–

3. रामदयाल
4. भैरूलाल
5. दुर्गालाल

पुत्रान बद्री

6. रामू
7. मन्नालाल
8. छोटूराम
9. कैलाश

पुत्रान कल्याण

समस्त जाति कुम्हार, निवासियान– ग्राम थली, तहसील चाकसू, जिला जयपुर राज0।

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चाकसू, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

–रेस्पोडेंट्स/वादी –

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1–श्री शिवसिंह चौधरी, अपीलांट्स की ओर से।

2– श्री सत्यनारायण शर्मा, रेस्पोडेंट की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :– 05–12–2017

1– यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–02–2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा बाबत् तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर कथन किया गया कि खाता संख्या 2 स्थित कुल किता 4 कुल रकबा 0.82 हैक्टै0 भूमि, खाता संख्या 3 स्थित कुल किता 32 रकबा 6.90 हैक्टै0 भूमि वाके ग्राम चकमुरारपुरा तहसील चाकसू में स्थित है जिसके वादीगण व प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार है। पक्षकारों द्वारा अपनी मर्जी से मौके पर बाहामी बंटवारा कर काबिज काश्त है परन्तु वादग्रस्त भूमि का विधिवत तकासमा नहीं हुआ है। वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि का विधिवत तकासमा किये जाने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 5–7–2011 को प्रारंभिक डिक्री जारी कर तहसीलदार चाकसू को कमिश्नर नियुक्त किया गया तथा अपने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 24–2–2015 द्वारा वादग्रस्त भूमि के विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित की गई जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अपीलान्ट के पिता प्रतिवादी संख्या 5 छीतर का देहान्त निर्णय से पूर्व दौराने दावा हो चुका था परन्तु वादीगण द्वारा अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया तथा अपीलान्ट को बिना सूचना एवं सुनवाई के अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो कि निरस्त योग्य है। कुरेजात रिपोर्ट पर प्रतिवादीगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई थी तथा प्रतिवादी संख्या 5 की मृत्यु दिनांक 29–9–2013 को हो जाने की सूचना भी अधीनस्थ न्यायालय को दिनांक 6–5–2014 को दे दी गई थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्व. छीतर के वारिसान के पक्षकार नहीं बनाया गया तथा मृतक डिक्री पारित कर दी गई जो कि निरस्त योग्य है। तहसीलदार द्वारा पक्षकारों की अनुपस्थिति में मनमाने तौर पर कुरेजात रिपोर्ट तैयार की गई है तथा रिपोर्ट में काश्तकारों के लिए रास्ता नहीं छोडा गया है। अच्छी से अच्छी जमीन वादीगण को दे दी गई है तथा प्रतिवादीगण को बंजर भूमि दी गई है

कुरेजात रिपोर्ट मौके की कब्जा काश्त के विपरीत बनाई गई है तथा कुरेजात रिपोर्ट पर की गई आपत्तियों को नजरअन्दाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त की जाकर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5– अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया तथा कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि दो भिन्न खातों की भूमि है जिनमें खातेदार भी भिन्न–भिन्न है जिसका विभाजन एक ही दावे से किया गया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 (5) का उल्लघंन है। अपीलाधीन निर्णय मृत व्यक्तियों के विरूद्ध पारित किया गया है जो कि नलिटी है। अपीलान्ट को एकमुश्त भूमि नहीं दी जाकर टुकड़ों में दी गई है तथा रास्ता भी नहीं दिया गया हैं। तहसीलदार स्वयं द्वारा कुरेजात प्रस्ताव तैयार नहीं किये गये हैं जो कि अनिवार्य है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा न्यायिक दृष्ट्रान्त 2017 (1) आर.आर.टी. 689 प्रस्तुत करते हुए अपील स्वीकार किया जाकर तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया गया।

6– अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि के दोनों खातों में खातेदार समान है तथा इस बाबत् प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा में भी कोई आपत्ति नहीं की गई है। प्रकरण में प्राथमिक डिक्री सहमति से जारी हुई है तथा जवाब दावे पर छीतर के हस्ताक्षर है। कुरेजात रिपोर्ट मीट्स एडं बाउण्डस के आधार पर तैयार की गई है एवं अपीलान्ट को समुचित रास्ता दिया गया है। अन्य खातेदारों द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति कुरेजात पर विधिवत सुनवाई पश्चात् निर्णय पारित किया गया है। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। कुरेजात रिपोर्ट समस्त सह–खातेदारों के समक्ष तैयार की गई है तथा विभाजन के दावे में वादी एवं प्रतिवादी समान हित रखने के कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मृतक के विरूद्ध पारित नहीं की गई है बल्कि उनके पक्ष में पारित की गई है एवं मृतक छीतर का हिस्सा उनके वारिसों को जरिये विरासत में मिलने की कोई बाधा नहीं है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा कथन किया गया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7– उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमें उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा यह कथन करते हुए वाद प्रस्तुत किया गया है कि वादग्रस्त भूमि का बाहमी तौर पर बंटवार कर पक्षकारान् मौके पर काबिज काश्त है तथा उक्तानुसार वादग्रस्त भूमि का विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब दावे में स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त भूमि का चूदंडी बंट के हिसाब से मौके पर विभाजन कर पक्षकारान काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण द्वारा यह भी कथन किया गया है कि वादीगण द्वारा भूमि क्रय की गई है तथा जिस खातेदार से जमीन क्रय की है वह भी चूदंडी बंट के हिसाब से काश्त करता चला आ रहा था। वादीगण का मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर कथन किया गया कि उनका वादग्रस्त आराजी पर एडवर्स पजेशन चला आ रहा है तथा उसके आधार पर वादीगण का नाम वादग्रस्त भूमि से लोपित किया जाकर प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा वादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। वादीगण द्वारा जवाब काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादीगण पूर्व काश्तकार के कब्जा काश्त अनुसार मौके पर वर्तमान में काबिज काश्त है तथा प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम खरिज किये जाने योग्य है। प्रकरण में दिनांक 5–7–2011 को प्रारभिंक डिक्री जारी की गई है। दिनांक 5–7–2011 की आदेशिका में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंकित किया गया है कि "पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उपस्थित है। प्रतिवादी वकील द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी नहीं करा कर दावा प्राथमिक डिक्री करने में सहमति जाहिर की गई। अतः पक्षकारान वकील द्वारा सहमति दिये जाने पर दावा वादी प्राथमिक डिक्री किया जाता है।" उक्त प्राथमिक डिक्री दिनांक 5–7–2011 के विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है तथा उक्त डिक्री प्रतिवादीगण की सहमति से जारी की गई है। इसका आशय यह है कि प्रतिवादीगण द्वारा अपने काउंटर क्लेम को साक्ष्य प्रस्तुत नहीं तथा प्राथमिक डिक्री के लिए सहमति प्रदान कर एक प्रकार से "नोट प्रेस" कर दिया है तथा वादीगण द्वारा वाद पत्र में किये गये कथनों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। प्राथमिक डिक्री से पूर्व वादी श्री हजारी लाल के बयान हुए हैं तथा हजारीलाल द्वारा अपने कब्जे काश्त के

बारे में कथन किया गया है कि उनका सडक पर 9 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर कब्जा काश्त है, जिसके काउंटर में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य नहीं करवाई गई है। प्रतिवादीगण द्वारा प्राथमिक डिक्री में इन तथ्यों के बारे में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। इस प्रकार प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के कब्जा काश्त के संबंध में उभय पक्षकारों की सहमति रहना स्पष्ट रूप से साबित है। अपीलान्ट द्वारा की गई यह आपत्ति कि निर्णय व डिक्री मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित की गई है, उचित नहीं है क्योंकि विभाजन के वाद में उभय पक्ष वादी की हैसियत में होता है तथा जो भूमि मृतक छीतर को प्राप्त हुई है वह उनके वारिसों के जरिये विरासत प्राप्त होगी। प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी होने में मृतक छीतर की भी सहमति रही है इसलिए इसे छीतर के विरूद्ध पारित निर्णय की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मृतक छीतर अपने अन्य चार भाईयों के साथ संयुक्त खातेदारी में थे एवं उन चार भाईयों में से किसी ने भी अपील प्रस्तुत नहीं की है। इससे स्पष्ट है कि मौजूदा अपील मात्र विभाजन को लंबित रखे जाने के उद्देश्य से ही प्रस्तुत की गई है तथा विभाजन से अपीलान्ट को कोई सारभूत क्षति होना दृष्टिगोचर नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र को सुना जाकर निस्तारित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमें कोई सारभूत त्रुटि कारित होना नहीं पाया जाता है। उपरोक्त विवचेन से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील विधिक बल रहित होने के कारण अस्वीकार योग्य पाई जाती है।

8– अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 24–02–2015 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9– निर्णय आज दिनांक 05–12–2017 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर